

दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

श्रावस्ती : अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मारपीट व गाली-गलौज करने के दोषी भिनगा क्षेत्र के सिराज व उनकी पत्नी भूमि को सीजेएम विनीत कुमार यादव ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। सात-सात सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। (संसू)